न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हॅंसमख कुमार आर.ए.एस.

4686
30/12/2020

161
रा.प्रा.पत्र सं. /2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
वेनाराम पुत्र श्री कुपाजी जाति मेघवाल निवासी बरलुट तहसील व जिला सिरोही		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी स्वंय
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ना.तह.सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने बाबत् ।

दिनांक30–12–2020

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने बाबत दिनांक 8–12–2020 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम से ग्राम गोयली के जमाबंदी खाता संख्या 340 के खसरा नंबर 1128/2017 रकबा 0.24 हैक्टेयर आयी हुई है जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा मौके पर काबिज काश्त हूँ। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे उपरोक्त खाते मे वीनाराम पुत्र श्री कुपाजी जाति मेघवाल निवासी बरलुट दर्ज है। मेरा वास्तविक शुद्व नाम वेनाराम पुत्र श्री कुपाजी मेघवाल है। साथ ही मेरे समस्त डोक्युमेण्ट यथा आधार कार्ड ,राशनकार्ड ,चुनाव परिचय पत्र ,एवं बैंक खाता इसी नाम से है तथा इसी नाम से जाना जाता हूँ । अतः निवेदन है कि उक्त जमाबंदी खाते मे प्रार्थी के गलत दर्ज नाम वीनाराम के स्थान पर सही वास्तविक नाम वेनाराम अंकित करवाने के आदेश प्रदान करना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व संलग्न आधार कार्ड ,राशनकार्ड ,चुनाव परिचय पत्र ,एवं बैंक खाता प्रति का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक 8–12–2020 को दर्ज रजिस्टर होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ । हमने उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न उक्त वर्णित दस्तावेजों की प्रतियों का अवलोकन किया तो यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के उक्त वर्णित आधार कार्ड ,राशनकार्ड ,चुनाव परिचय पत्र ,एवं बैंक खाता मे प्रार्थी का सही नाम वेनाराम पुत्र कुपाजी जाति मेघवाल निवासी बरलुट अंकित है जबकि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों ने राजस्व रेकर्ड संधारण करते समय लापरवाही से प्रार्थी के जमाबंदी खाता संख्या 340 के खसरा नंबर 1128/17 रकबा 0.24 हैक्टेयर की आराजी मे प्रार्थी का नाम वीनाराम गलत दर्ज कर दिया है जबकि उपरोक्त दस्तावेजात मे प्रार्थी का सही नाम वेनाराम पुत्र कुपाजी मेघवाल निवासी बरलुट अंकित है। उपरोक्त प्रार्थी के नाम की त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से प्रार्थी का सही वास्तविक नाम अंकित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अन्यथा प्रार्थी का भविष्य मे नाम सुधरवाने मे कानूनी अडचने पैदा होगी तथा प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान से भी गुंजरना पड सकता है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा गोयली पटवार हल्का गोयली तहसील सिरोही की जमाबंदी खाता संख्या 340 के खसरा नंबर 1128/17 रकबा 0.24 हैक्टेयर की कृषि आराजी की वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थी के गलत दर्ज नाम वीनाराम पुत्र कुपाजी जाति मेघवाल निवासी बरलुट के स्थान पर प्रार्थी का सही वास्तविक नाम वेनाराम पुत्र कुपाजी जाति मेघवाल निवासी बरलुट अंकित/शुद्व दुरूस्त कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट शीघ्र इस न्यायालय मे भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅंसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)

उपरोक्त निर्णय [illegible] को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 15:09:34 IST
Reason: SelfAttested

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
सत्यमेव जयते
सिरोही (राज॰)